परिपत्र संख्या-15/अध-3(3)/वार्डर स्था0/2021

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 21 जुलाई, 2021

विषयः- वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2021 के अन्तर्गत वार्डर संवर्ग के किये गये स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्मिकों को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2021 के अन्तर्गत वार्डर संवर्ग के कार्मिकों के परिक्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये है।

मुख्यालय एवं परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार स्तर से जारी स्थानान्तरण आदेशों में जिन कारागारों पर स्थानान्तरण से पूर्व तैनात कार्मिकों की संख्या से अधिक कार्मिकों की तैनाती की गई है, वे अधिक तैनात किये गये कर्मियों के सापेक्ष अपनी कारागार से स्थानान्तरित कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त जिन कारागारों पर वार्डर संवर्ग के कार्मिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप योगदान प्रस्तुत कर रहे है, उस कारागार के सम्बन्धित वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कार्मिकों के योगदान की संख्या के सापेक्ष स्थानान्तरित कार्मिकों(अधिक समय से तैनात कार्मिको को सर्वप्रथम एवं तदनुसार) को उनकी नवीन तैनाती की कारागार हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

अवगत कराना है कि वर्तमान में 3638 नव चयनित जेल वार्डरों के तैनाती का कार्य प्रगति पर है। अस्तु जिन कारागारों के अधिक संख्या में वार्डरों का स्थानान्तरण किया गया है, उन कारागारों पर प्राथमिकता पर नव चयनित वार्डरों की तैनाती की जायेगी, जिससे वहॉ से स्थानान्तरित समस्त कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जा सके।

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र पृ0सं0-15/ अध-3(3)/वार्डर स्था0/2021 तद्दिनॉक 22 जुलाई 2021

प्रतिलिपि-समस्त उप महानिरीक्षक कारागार को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश का अनुपालन कराते हुये अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 26.07.2021 तक मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(शैलेन्द्र कुमार मैत्रेय)
उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।